

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

रीडर/2018/ 491

दिनांक - 23-2-18

वीरमाराम पुत्र रिड़मलराम
जाति जाट निवासी
जसोताणियों की ढाणी
(भाड़खा) तहसील व जिला
बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण

1 जेठाराम पुत्र किरस्तुराराम 2 शौराराम पुत्र
रिड़मलराम 3 पुरखाराम पुत्र भोपाराम जाति
कुमावत निवासी जसोताणियों की ढाणी (भाड़खा)
4 मगलाराम 5 हिमथाराम 6 लिछमणाराम 7
रुगाराम पिसरान किरस्तुराराम 8 भीयाराम 9
खेताराम 10 गोमाराम 11 नखताराम 12 मूलाराम
पिसरान चिमाराम 13 कुनणी पत्नी चिमाराम जाति
जाट निवासी जसोताणियों की ढाणी (भाड़खा)
तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 217/2017

दिनांक- 23-2-18

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जसोताणियों की ढाणी (भाड़खा) पटवार क्षेत्र भाड़खा
तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 160/1 रकबा 08.10 बीघा खसरा संख्या 25.08
बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार
बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी
व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में
खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश
दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।

कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती
है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 23-2-18

क्रमांक :- रीडर/2018/ 492-95
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाड़खा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. वीरमाराम पुत्र रिड़मलराम जाति जाट निवासी जसोताणियों की ढाणी (भाड़खा) तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी जेठाराम पुत्र किरस्तुराराम वगैराह जाति कुमावत निवासी जसोताणियों की ढाणी (भाड़खा) तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर